बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
शुद्धि–पत्र

बिहार राज्यान्तर्गत नवादा जिला के गोविन्दपुर अंचल में खखन्दुआ मौजा में अवस्थित पत्थर भूखंड की लोक नीलामी हेतु समाचार पत्रों में दिनांक–07.11.2018 को प्रकाशित विज्ञापन सं0–PR.11006(Mines) 2018-19 के लिए उपलब्ध निविदा दस्तावेज के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्नवत संशोधित किया जाता है :–

कंडिका–7 (i)

निविदा देने वाले को कुल सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत अग्रधन (Earnest Money) के रूप में ऑन लाईन/ऑफ लाईन की स्थिति में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा। बैंक ड्राफ्ट निविदादाता के खाता के माध्यम से ही निर्गत एवं **"सहायक निदेशक, खान, नवादा"/"Assistant Director, Mines, Nawada"** के नाम से देय होगा।

कंडिका–9 (i)

प्रत्येक पत्थर भू–खण्ड की नीलामी के उपरांत संबंधित उच्चतम डाकवक्ता (सफल निविदादाता) के पक्ष में उच्चतम डाकवक्ता घोषित होने पर **एक (1)** कार्य दिवस के अन्दर नीलामी राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति राशि का भुगतान अग्रधन राशि को समायोजित करते हुए बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने के उपरांत ही जिला समाहर्त्ता द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर द्वितीय उच्चतम डाकवक्ता को अवसर प्रदान किया जायेगा, जिन्हें भी **एक (1)** कार्य दिवस के अन्दर प्रतिभूति राशि का अंतर राशि जमा करना होगा अन्यथा जमा प्रतिभूति को जब्त करते हुए बंदोबस्ती रद्द कर दी जायेगी।

कंडिका–9 (ii) (ग)

विलोपित।

अनुलग्नक–2

निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक–2 में मौजा खखन्दुआ के पत्थर भूखण्ड सं0–A के लिए सुरक्षित जमा (रूपये में) 27,66,68,782/– पढ़ा जाय।

2. शेष यथावत रहेंगे।

20/11/18
(सुशील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

D/MANOJ/ALOK JI/SUDHI-PATRA